भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 72
दिनांक 23 जुलाई, 2026

पीएनजी नेटवर्क का विस्तार

†*72. **श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः**
श्रीमती भारती पारधीः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 2026 तक 600 से अधिक जिलों को कवर करने के लिए पाइपकृत प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नेटवर्क का सफलतापूर्वक विस्तार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने से पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों का एक सस्ता और अधिक विश्वसनीय विकल्प उपलब्ध हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अंतिम छोर तक पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्रदान करने में तेजी लाने के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या एकीकृत परिवहन प्रशुल्क में हाल ही में की गई कमी से क्षेत्रीय उद्योगों के लिए गैस की लागत में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पीएनजी की कीमतें वाणिज्यिक एलपीजी के बाजार मूल्य से काफी कम रहें; और
(च) क्या सरकार ने मार्च, 2027 तक बारह मिलियन और परिवारों को पीएनजी नेटवर्क से जोड़ने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पीएनजी नेटवर्क का विस्तार' के बारे में संसद सदस्य श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे और श्रीमती भारती पारधी द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 72 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च) सरकार देश भर में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दे रही है। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के तहत, पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) को एक सुविधाजनक और विश्वसनीय खाना पकाने के ईंधन के रूप में विस्तारित किया जा रहा है। पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली पीएनजी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की बुकिंग, हैंडलिंग, भंडारण और प्रतिस्थापन से जुड़ी परेशानियों को दूर करती है। इसके अलावा, हवा से हल्की होने के कारण, पीएनजी को खाना पकाने के लिए एक सुरक्षित ईंधन माना जाता है। प्रति इकाई ऊर्जा सामग्री (किलोकैलोरी/किग्रा) के संदर्भ में, पीएनजी एलपीजी की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद है। हालांकि, गैस की लागत कई गतिशील कारकों, जैसे कि खरीदी गई गैस की लागत, राज्य कर, टैरिफ, दी गई राजसहायता, परिवहन और वितरण लागत पर निर्भर करती है। तदनुसार, एलपीजी की तुलना में पीएनजी की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता रूप से विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हो सकती है।

पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र के लिए, घरेलू प्राकृतिक गैस (एपीएम/एनएपीएम) के आवंटन के माध्यम से आवश्यकता पूर्णतः पूरी की जाती है। यह आवंटन प्रशासित कीमतों पर किया जाता है, जो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है और प्राकृतिक गैस के बाजार मूल्य से काफी कम है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से, सरकार ने पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र को पिछली तिमाही में वास्तविक पीएनजी (घरेलू) खपत के 105% के बराबर घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटित की है ताकि देश भर में घरेलू पीएनजी कनेक्शनों के विस्तार को सुगम बनाया जा सके।

मध्य पूर्व संकट के कारण एलएनजी की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद, सरकार द्वारा उठाए गए उपायों ने पीएनजी (घरेलू) कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किफायती बनाए रखने में मदद की है।

इसके अलावा, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 को 09.03.2026 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आवंटन और वितरण को विनियमित करना और इसकी समान उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इस आदेश में प्राकृतिक गैस के आवंटन में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जिनमें पीएनजी (घरेलू) (पिछले छह महीनों की औसत खपत का 100%), सीएनजी (परिवहन), एलपीजी उत्पादन और उर्वरक शामिल हैं, जिससे आवश्यक सेवाओं की निरंतरता, ऊर्जा सुरक्षा और जन कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। उक्त उपाय अस्थायी प्रकृति के थे और आपूर्ति की स्थिति में सुधार को देखते हुए, इन्हें 04.07.2026 की अधिसूचना द्वारा वापस ले लिया गया।

पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराना सीजीडी नेटवर्क के विकास का एक हिस्सा है, जिसमें घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यह कार्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। 12/12ए सीजीडी निविदा दौर के पूरा होने के बाद, पीएनजीआरबी ने 309 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कंपनियों को अधिकृत किया है, जिसमें 683 जिले और देश का संपूर्ण मुख्य भूभाग शामिल है। 31.05.2026 तक, अधिकृत कंपनियों ने 1,70,69,775 घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं और देश भर में 6,71,387 इंच-किमी पाइपलाइन बिछाई है। पीएनजी अवसंरचना के विकास के लिए सीजीडी कंपनियों को सरकार द्वारा वर्तमान में कोई राजसहायता/वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जा रहा है।

पीएनजीआरबी ने टैरिफ ज़ोन को तीन से घटाकर दो करके एकीकृत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाया है और ज़ोन-1 (300 किमी तक) के लिए 54.00 रुपए/एमएमबीटीयू और ज़ोन-2 (300 किमी से आगे) के लिए 110.02 रुपए/एमएमबीटीयू का परिवहन टैरिफ अधिसूचित किया है, जो 01.04.2026 से प्रभावी है। ज़ोन-1 टैरिफ को सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 300 किमी से आगे के उपभोक्ताओं के लिए परिवहन शुल्क में लगभग 50% की कमी आई है। परिवहन शुल्क में कमी से उद्योगों, विशेष रूप से गैस स्रोत से 300 किमी से अधिक दूरी पर स्थित उद्योगों के लिए प्राकृतिक गैस की वितरण लागत कम करने में मदद मिलती है, बशर्ते अन्य लागू लागत घटक भी शामिल हों।

पीएनजीआरबी ने सीजीडी कंपनियों के सहयोग से 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 तक राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 का शुभारंभ किया है। पीएनजीआरबी ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, नए कनेक्शनों को बढ़ावा देना और गैर-बिल वाले ग्राहकों को सक्रिय करना है, जिसका समग्र लक्ष्य विभिन्न उपयोगकर्ता श्रेणियों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाना है। इस पहल के तहत, सरकार और अधिकृत सीजीडी कंपनियों द्वारा विभिन्न उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों तक पीएनजी की कनेक्टिविटी का विस्तार;

ii. जुड़े हुए परिवारों को सक्रिय बिलिंग उपभोक्ताओं में परिवर्तित करना;

iii. जागरूकता अभियान और उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम;

iv. शीघ्र वैधानिक अनुमतियों के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय; और

v. उपभोक्ता-हितैषी उपायों का कार्यान्वयन, जिसमें डिजिटल पंजीकरण, सरलीकृत कनेक्शन प्रक्रियाएं और सीजीडी कंपनियों द्वारा प्रस्तावित प्रचार योजनाएं शामिल हैं।

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 24.03.2026 को एक व्यापक नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में, विशेष रूप से सीजीडी पाइपलाइन अवसंरचना के समयबद्ध विस्तार को सुगम बनाना है। यह आदेश मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) और अनुमतियों के अनुदान के लिए एक समान ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सख्त समयसीमा निर्धारित की गई है, विलंब होने पर स्वतः स्वीकृतियां प्रदान की जा सकती हैं और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाई गई है। यह आवासीय और निजी क्षेत्रों में पहुंच संबंधी मुद्दों को भी संबोधित करता है, जिसमें गैर-भेदभावपूर्ण और समयबद्ध अनुमतियां सुनिश्चित की जाती हैं, जिससे पाइपलाइन बिछाने में आने वाली प्रमुख बाधाएं दूर हो जाती हैं।

सीजीडी नेटवर्क की प्रगति की निगरानी सीजीडी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर नियमित रूप से की जाती है। यदि कोई देरी या कमी पाई जाती है, तो कंपनियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इसमें प्रगति समीक्षा बैठकों या मौजूदा नियमों के तहत वैधानिक सुनवाई के लिए उन्हें बुलाना शामिल है ताकि चुनौतियों पर चर्चा की जा सके और अधिकृत सरकारी निकायों में उनके एमडब्ल्यूपी लक्ष्यों पर नवीनतम जानकारी दी जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार संबंधित राज्यों में सीजीडी नेटवर्क के विकास और इस संबंध में चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बातचीत और बैठकें करती है।
